दिल्ली विकास प्राधिकरण

रिक्ति सूचना

वी.एन.नंबर–08 / 2024 / पीबी– I / डीडीए

विषयः डीडीए में प्रतिनियुक्ति आधार पर उप मुख्य विधि सलाहकार (सातवें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल–12) के 01 चयन पद के संबंध में।

दिल्ली विकास प्राधिकरण भर्ती नियमों के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार दि.वि.प्रा. में प्रतिनियुक्ति आधार पर वेतन बैंड (पीबी)–3, 15600–39100, ग्रेड वेतन–7600 / – (सातवें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल–12) में उप मुख्य विधि सलाहकार के 01 पद को भरने के लिए केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / अर्ध–सरकारी / केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन / सांविधिक संगठनों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / स्वायत्त निकायों में कार्यरत पात्र अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित करता है:–

"केंद्र / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / अर्ध–सरकारी / स्वायत्त अथवा सांविधिक निकायों के अंतर्गत आने वाले विधि संबंधी कार्यों / मामलों को देखने वाले ऐसे अधिकारी, जो

(क) (i) संवर्ग / मूल विभाग में नियमित आधार पर समान पद पर कार्यरत हों,

(ii) वेतन बैंड–3 में 6600 / – रुपये ग्रेड वेतन के साथ 15600–39100 रु. के वेतनमान में अथवा समकक्ष पद पर 5 वर्ष का कार्य अनुभव

और

(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ में नियमित डिग्री (बार में पंजीकरण के लिए पदधारी को अधिकार और न्यायालयों के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार) या समकक्ष और अधिमानतः भूमि अधिग्रहण, संपत्ति के हस्तांतरण, राजस्व और सेवा मामलों आदि में कार्य व्यवहार करने का अनुभव हो;"

नोटः– प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण शुरुआत में 01 वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार वर्ष दर वर्ष आधार पर 05 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति हेतु निबंधन एवं शर्तें दिनांक 17 जून, 2010 को जारी कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित और समय–समय पर यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार लागू होंगी।

सामान्य शर्तें :–

i. उम्मीदवारों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.07.2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. फाइल सं. एबी. 14017 / 28 / 2014–ईस्ट.(आरआर) द्वारा जारी संलग्न निर्धारित प्रपत्र में संगत दस्तावेजों के साथ मूल विभाग में कैडर नियंत्रण प्राधिकारी के माध्यम से आवेदन करना चाहिए। कैडर नियंत्रण प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से ''नियोक्ता / कैडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र'' भी भरना चाहिए, जो निर्धारित आवेदन प्रपत्र का भाग है।

ii. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन को संबंधित नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित करते हुए अग्रेषित किया जाना चाहिए कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विवरण रिकॉर्ड के अनुसार सही है।

iii. आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

iv. प्रतिनियुक्ति की अवधि आरंभ में 01 वर्ष के लिए होगी, जिसे वर्ष दर वर्ष आधार पर 05 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा, तथापि दिल्ली विकास प्राधिकरण के विवेकानुसार इस अवधि / विस्तारित अवधि के पूरा होने से पहले किसी भी समय इसे समाप्त किया जा सकता है।

v. प्रतिनियुक्ति पर चयनित अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते तथा प्रतिनियुक्ति की अन्य शर्तें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं.6 / 8 / 2009–ईस्ट.(पे–II) और समय–समय पर यथा संशोधनों के अनुसार विनियमित की जाएंगी।

vi. मूल विभाग में समूह 'क' अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले पांच वर्षों की एपीएआर के साथ ही नवीनतम सतर्कता अनापत्ति रिपोर्ट, जिसमें लंबित और निपटाए गए अनुशासनात्मक / आपराधिक मामलों का उल्लेख हो तथा लगाए गए दंडों का विवरण, यदि कोई हो, भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

vii. उम्मीदवारों के कैडर पद की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का स्तर एक्स–कैडर पद के कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के बराबर होना चाहिए।

viii. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आवेदन में मूल वेतनमान / वेतन बैंड + ग्रेड वेतन / वेतन मैट्रिक्स में स्तर का उल्लेख किया जाना चाहिए क्योंकि डीडीए द्वारा केवल मूल पद और वेतनमान / वेतन बैंड + ग्रेड वेतन / वेतन मैट्रिक्स में स्तर पर ही विचार किया जाएगा। एसीपी / एमएसीपी / एनएफएसजी / एनएफयू आदि के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन को अलग से दिखाया जाना चाहिए।

ix. यदि वेतन संरचना केंद्र सरकार से अलग है, तो 7वें सीपीसी के आधार पर केंद्र सरकार के तुलनीय वेतन संरचना का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो।

सभी तरह से पूर्ण आवेदन आयुक्त(कार्मिक), दिल्ली विकास प्राधिकरण, ई–1, भूतल, विकास सदन, नई दिल्ली–110023 के कार्यालय में **दिनांक 27.08.2024** तक या उससे पहले पहुँच जाने चाहिए। अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।

अधिक जानकारी हेतु टोल फ्री नं. 1800110332 डायल करें

@ddaofficial @official_dda @official_dda_ @Official_dda पर हमें फॉलो करें

CBC 20112/12/0009/2425